



डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन्
राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर
(प्रशासनिक भवन : करवड़, नागौर रोड, जोधपुर)


क्रमांक: डॉ. एस.रा.रा.आ.वि./गोपनीय/2025-26/750

दिनांक: 16.04.2026

-: कार्यालय आदेश :-

डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा आयोजित प्रबन्ध बोर्ड उपवेशन दिनांक 16.03.2026 में पारित मुख्य/पुनर्मूल्यांकन परीक्षा परिणाम पश्चात् संवीक्षा/उत्तर-पुस्तिका ऑनलाइन प्राप्त करने हेतु नियम एवं शर्तों के सम्बन्ध में निर्णय पारित किये गये जो निम्नानुसार है :-

1. अभ्यर्थी विश्वविद्यालय वेबसाईट पर मुख्य/पुनर्मूल्यांकन परीक्षा परिणाम के पश्चात् 07 दिवस के भीतर संवीक्षा आवेदन-पत्र ऑनलाइन निर्धारित शुल्क 1000/- प्रति उत्तर-पुस्तिका प्रति परीक्षक जमा कराकर आवेदन कर सकेंगे।
2. ऑनलाइन निर्धारित शुल्क जमा पश्चात् अभ्यर्थी को ऑनलाइन ही उत्तर-पुस्तिका उपलब्ध करवाई जाकर संबंधित अभ्यर्थी द्वारा उत्तर-पुस्तिका की छायांप्रति प्राप्त होने के 07 दिवस के भीतर ही ऑनलाइन ही आपत्ति दर्ज करवाई जा सकेगी, अन्यथा इसके उपरांत कोई भी आपत्ति दर्ज/मान्य नहीं होगी। 07 दिवस पश्चात् उत्तर-पुस्तिका हटा ली जावेगी।
3. संवीक्षा में उत्तर-पुस्तिका में प्रदत्त अंकों की गणना में त्रुटि एवं किसी प्रश्न के मूल्यांकन नहीं होने की स्थिति में ही आपत्ति मान्य होगी।
4. ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात् परीक्षा परिणाम जारी होने के पश्चात् से 07 दिवस अथवा उसके पश्चात् संबंधित आवेदनकर्ता को परीक्षा फॉर्म में दर्ज ई-मेल पर उत्तर-पुस्तिका प्रदर्शित करने की सूचना भेजी जाएगी।
5. संवीक्षा में उत्तर-पुस्तिका में चाहने वाला आवेदक को प्रदत्त अंकों में मूल्यांकन पश्चात् अंकों की गणना अथवा बहुवैकल्पिक प्रश्नों में उत्तर-कुंजिका निर्माता द्वारा उपलब्ध करवाई गई कुंजिका अनुसार प्रदत्त अंकों में त्रुटि होने की स्थिति में कमी/बढोतरी की जाएगी।
7. संवीक्षा में आवेदक अति लघुत्तरात्मक/लघुत्तरात्मक/निबन्धात्मक प्रश्नों में प्रदत्त अंकों के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं की जाएगी।
8. विद्या-परिषद् उपवेशन दिनांक 25.10.2024, प्रबन्ध बोर्ड उपवेशन दिनांक 19.12.2024 एवं विद्या-परिषद् उपवेशन 16.07.2025 में पारित किए गए सूचना का अधिकार-2005 नियमों को निरस्त किया जाकर केन्द्र/राज्य/विश्वविद्यालय के ऑर्डिनेंस जोधपुर, मई 14, 2010 के बिन्दू संख्या 0.25 के उपबिन्दू (4) के नियमानुसार लागू किया जाना प्रस्तावित है।



परीक्षा नियंत्रक

दिनांक: 16.04.2026

क्रमांक: डॉ. एस.रा.रा.आ.वि./गोपनीय/2025-26/751-754

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. निजी सचिव, कुलगुरु महोदय, डॉ. एस.आर. राज. आयुर्वेद वि.वि. जोधपुर।
2. निजी सचिव, कुलसचिव महोदय, डॉ. एस.आर. राज. आयुर्वेद वि.वि. जोधपुर।
3. प्राचार्य समस्त संघटक एवं संबद्धता प्राप्त राजकीय व निजी महाविद्यालय/नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र।
4. रक्षित पत्रावली।



परीक्षा नियंत्रक